

भाग 2

पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिये प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

(कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)

महोदय,

मेरा तथा मृत सरकारी सेवक का विवरण निम्नवत् है। मुझे पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कृपा करें:---

1-मृत सरकारी सेवक का नाम

2-मृत सरकारी सेवक के पिता/पति का नाम

3-मृत सरकारी सेवक द्वारा धारित अन्तिम पद का नाम तथा विभाग/कार्यालय का नाम एवं पता

4-क्या मृत सरकारी सेवक पेन्शन पा रहा था ?

यदि हां, तो -

(क) सेवानिवृत्ति का दिनांक

(ख) पेन्शन भुगतानादेश संख्या

(ग) पेन्शन प्राधिकृत करने वाले

अधिकारी का पदनाम एवं पता

5-प्रार्थी का ---

(क) नाम

(ख) पिता/पति का नाम

(ग) जन्म-तिथि

(घ) मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध

6-मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के सम्बन्धित सदस्य का पता, जिसे पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत की जायेगी :---

(क) स्थायी निवास-स्थान

(ख) पत्र-व्यवहार का पता

7-सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक

(मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है)

8—मृत सरकारी सेवक के परिवार का विवरण :-

क्रम-संख्या	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म-तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

9—कोषागार का नाम, जहां से भुगतान अपेक्षित है

10—अनन्तिम पारिवारिक पेन्शन/ग्रेच्युटी की धनराशि (यदि कोई हो)–

(क) पारिवारिक पेन्शन

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी

(प्रार्थी के हस्ताक्षर

या अंगूठे के निशान)

घोषणा

मैं _____ पत्नी/पति, पुत्र/पुत्री स्वर्गीय श्री _____ को (विभाग/कार्यालय का नाम) _____ द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकार करते हुए यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी से अधिक धनराशि किसी त्रुटिबश भुगतान कर दी जाती है तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गई धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति न होगी।

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये ---

1-नाम _____ हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

पता _____

2-नाम _____ हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

पता _____

(प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान)

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

(उपर्युक्त साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहिए जहां मृत कर्मचारी कार्यरत था। अन्य स्थिति में आहरण एवम् वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेंगे।)

भाग 4

सेवा का इतिहास

सरकारी सेवक का नाम _____

क्रमांक	कब से कब तक (केवल दिनांक दिये जायें)	पद का नाम, जिस पर कार्य किया (स्थान सहित/ अवकाश, असाधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्नति, पदावनति, प्रतिनिगुक्ति एवम् व्यवधान की अवधियां भी इंगित की जायें)	स्तम्भ-3 में दर्शायी गयी अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेशानयुक्त नहीं है, तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाय
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर _____

(कार्यालय-अक्ष का नाम एवं पता)

13. पेंशन का आगणन _____
14. सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन (पेंशन अहं सेवा 10 वर्ष से कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य) _____
15. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन _____
16. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो) _____
17. अनुसूचित सेवा/सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि _____
18. पारिवारिक पेंशन का आगणन —
- (क) सामान्य दर _____
- (ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक _____ से रु० _____ प्रतिमाह तथा दिनांक _____ से रु० _____ प्रतिमाह (सामान्य दर)

19. पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक _____
20. पेंशन का भाग अथवा धनराशि, जिसका राशिकरण अनुमन्य है _____
21. राशिकृत मूल्य का आगणन _____
22. राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि _____
23. कोषागार का नाम जहां से पेंशन/सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु ग्रेच्युटी/ राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे _____
24. अनन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन (यदि कोई स्वीकृत की गई हो) _____
25. अनन्तिम सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी (यदि कोई स्वीकृत की गई हो) _____
26. पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक _____ (यह तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिये) तक :-

- (1) भवन निर्माण अग्रिम में से रु० _____ की धनराशि देना शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है ।
- (2) मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रु० _____ की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है ।
- (3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रु० _____ की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है ।
- (4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक _____ तक रु० _____ की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक _____ तक रु० _____ और देना शेष रह जायेगा ।
- (5) आडिट के परिणामस्वरूप रु० _____ की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है ।
- (6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रु० _____ की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है ।
- (7) अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाय) _____ की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है ।
- (8) श्री _____ (सरकारी सेवक वगैरह) के विरुद्ध कोई न्यायिक/वैनायिक अथवा प्रशासनाधिकरण जांच लक्षित नहीं है / है ।

(यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसा यदि सरकार को विनीय हार्जि पहुंचाये गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचरण के लक्ष्यी हो तो उसका विवरण दिया जाय ।)

(विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

तथा पटनाम)

संलग्नक-2

THIS DEED OF INDEMNITY is made on the _____ day of _____
 19_____ corresponding to Saka Samvat the _____ day of _____
 19_____ by (1) Srimati/Sri _____ w/o/s/o late
 Sri _____ r/o _____ (Bounden(I)* and (2)II
 Sri _____ s/o _____ r/o _____ (Bounden), (jointly)
 called the "Boundens" IN FAVOUR OF THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (called "the Governor").

Whereas ;

1. Late Sri _____ was in the service of the Government of Uttar Pradesh
 (called the "Government") as _____ (designation) in _____
 _____ (name of office).

2. Late Sri _____ (called "deceased") died on _____ and family
 pension and death-cum-retirement gratuity is to be sanctioned to his family.

3. Bounden I is the _____ (relationship with deceased).

If necessary (and Bounden II) is the _____ (relationship with deceased) and
 is/are entitled to the family pension and gratuity.

4. A No demand certificate is required to be issued in regard to the deceased by _____
 _____ before sanction of family pension, gratuity, etc. to the Bounden, but the
 said certificate could not be issued so far and scrutiny of records for that purpose is likely to take further time.

5. The Government is willing to sanction family pension and gratuity etc., to the Bounden on condition that
 the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnify and save harmless the Government from any loss
 which the Government may incur by reason of any moneys found due against the deceased within a period of two years
 from the date of his death.

Now this deed witnesses that—

(1) In consideration of Government agreeing to sanction family pension and gratuity, etc. to the bounden
 before issue of "No demand certificate" the Bounden hereby covenants if necessary (jointly and severally covenant), with
 the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be discovered to be due
 against the deceased within a period of two years from the date of his death, subject to a maximum of the amount of
 gratuity and family pension paid to the Bounden.

(2) Any amount due under this deed may, on the certificate of _____
 which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from her/him/them as arrears of land
 revenues.

In witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has/have signed hereunder on the
 day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witnesses :

(1) _____

Address _____

(2) _____

Address _____

Signed by :

Bounden I

Bounden II